पौधों की कटाई के बाद (पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट) के लिए संरचनाएं ।

भंडारण गोदाम (स्टोरेज गोदाम)

औषधीय पौधों की खेती के बाद उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर स्टोर रखने जरूरी होते हैं ताकि औषधीय पौधों के उत्पादन को मौसम के प्रभाव और कीटों से बचाया जा सके, और साथ ही लंबे समय तक उपस्थित करवाया जा सके जिससे उनकी बाजार में कीमत अच्छी बनी रहे , बिक्री ज्यादा हो और नुकसान कम हो।
इसलिए पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट संरचनाएं में भंडारण गोदाम ,एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भंडारण गोदाम में जरूरी संरचनाएं।
1 **वेंटिलेशन(हवा):** भंडारण गोदाम के अंदर वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे, जिससे वस्तुएं ताजगी बनाए रखें।
2. **तापमान और आर्द्रता नियंत्रण:** भंडारण में तापमान और आर्द्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि उच्च आर्द्रता और तापमान से उत्पादों में खराबी हो सकती है।
3. **कीट नियंत्रण**: गोदाम में कीटों और चूहों से बचने के लिए कीटाणु नाशक, जाल और अन्य सुरक्षा उपायों का होना चाहिए।
4. **साफ-सफाई और नियमित निरीक्षण:** भंडारण क्षेत्र को स्वच्छ रखना और नियमित निरीक्षण करना ताकि कीट और रोगों को नियंत्रित किया जा सके।
5. **सामग्री का उचित वर्गीकरण और पैकिंग:** उत्पादों को सही ढंग से पैक और वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ताकि एक-दूसरे से संपर्क न हो और वे सुरक्षित रहें।
6.**पानी और नमी से सुरक्षा**: भंडारण गोदाम के अंदर पानी और नवमी से सुरक्षा होनी चाहिए ताकि उत्पादन खराब ना हो
7. **प्राकृतिक रोशनी का नियंत्रण** : भंडारण गोदाम के अंदर प्राकृतिक रोशन आई का नियंत्रण होना आवश्यक है ताकि उत्पादकों को फंगस या कीटों से बचाया जा सके।
औषधीय पौधों को जमीन से ऊपर रखने के लिए पैलट्स, हवादार रैक, वॉटरप्रूफ फर्श,शेल्व्स होना जरूरी है ताकि उत्पादन खराब ना हो और लंबे समय तक उपयोग में ला सकें।

भंडारणगोदाम

ट्रे सिस्टम

वेंटीलेशन सिस्टम

भूमि की आवश्यकता : भंडारण गोदाम बनाने के लिए कुल भूमि का 15 – 20% हिस्सा इसमें उपयोग किया जाना चाहिए।

वित्तीय सहायता : भंडारण गोदाम लगाने के लिए :

- सरकारी क्षेत्र को 10 लाख रुपए प्रति यूनिट
- निजी क्षेत्र को 5 लाख रुपए प्रति यूनिट दिए जाएंगे।

क .स	**प्रोजेक्ट का नाम**	**न्यूनतम भूमि**	**वित्तीय सहायता**	**कौन आवेदन कर सकता है**
1	भंडारण गोदाम (स्टोरेज गोदाम)	सूखने के लिए यार्ड बनाने के लिए कुल भूमि का 15 – 20 % भाग होना चाहिए।	सरकारी क्षेत्र को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे । निजी क्षेत्र को 5 लाख रुपए को दिए जाएंगे।	सरकारी तथा निजी (प्राइवेट) क्षेत्र दोनों भंडारण गोदाम (स्टोरेज गोदाम) प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते है ।